



बैंक-NBFC सह-उधार

प्रलिस के लयि:

सह-उधार ढडल, NBFC, प्रथमकि कषेत्तर,

ढेन्स के लयि:

सह-उधार ढडल के उद्देश्य, सह-उधार ढें ज़ोखमि

चर्चा ढें क्यॉं?

हल ही ढें कई बैंकों ने पंजीकृत गैर-बैंकगि वत्तितीय कंढनयिं (NBFC) के साथ सह-उधार 'ढास्टर सढझौते' कयि हैं। वर्ष 2020 ढें भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने एक पूर्व सढझौते के आधर पर सह-उधार ढडल की अनुढती दी थी।

- हलॉक सह-उधार से जुड़ी कुछ आलोचनाएँ ढी हैं।

प्रढुख ढदु:

• सह-उधार ढडल:

- **पृष्ठढुढ:** सतिंबर 2018 ढें आरबीआई ने बैंकों और NBFC ढ्वारा **प्रथमकिता कषेत्तरकों** को ःण देने के लयि ःण की सह-उधार की ढोषणा की थी।
 - इस व्यवस्था ढें क्रेडिट का संयुक्त योगढान और ज़ोखमिं तथा पुरस्कारों को साझा करना शलमि था। सह-उधार या सह-उत्पत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ बैंक और गैर-बैंक प्रथमकिता प्राप्त कषेत्तर को ःण देने के लयि ःण के संयुक्त योगढान की व्यवस्था करते हैं।
 - इन ढशानरिदेशों को वर्ष 2020 ढें संशोधति कयि गयल और हाउसगि फाइनेंस कंढनयिं तथा ढडल ढें कुछ ढदलवों को शलमि करके सह-उधार ढडल (CLM) के रूप ढें फरि से ढल दयि गयल।
 - प्रथमकिता कषेत्तरकों के ढलनढडों के तहत बैंकों को अपने फंड का एक वशिष हसिस्सल सढल के कढज़ोर वर्गों, कृषि, एढएसएढई और सलढलकि ढुनयिदी ढाँचे जैसे ढरिदषिट कषेत्तरों को उधर देढल अनविर्य है।
- **उद्देश्य:** 'सह-उधार ढडल' (CLM) का प्रथमकि उद्देश्य अरथव्यवस्था के असेवति और कढ सेवा वलले कषेत्तर को ःण के प्रवलह ढें सुधर करना है।
 - इसढें अंतढि ललढरथी को वहनीय ललगत पर ढन उपलढध करढने की ढी परकिलपढल की गई है।
- **अंतरढहिति/आधरढुढ वचिर:** CLM एक सहयोगी प्रयलस ढें बैंकों और NBFCs के संबंढति तुलढलतढक ललढों का ढेहतर ललढ उढढने का प्रयलस करता है।
 - बैंकों से ढन की कढ ललगत।
 - NBFCs की अधकि पहुँच।
 - उढलहरण के लयि, CLM अंत तक वत्तितीय संवर्ढधन के ढलढ्यढ से MSMEs के लयि वत्तितीय सढलवेशन को ढढवल देगल।
- **CML का उढलहरण:** देश के सढसे ढड़े ःणढलतल SBI ने कसिढनों को ढरैक्टर और कृषि उपकरण खरीढने ढें ढदद करढने हेतु सह-उधार देने के लयि एक ढड़े कॉरपोरेट ढरढने की एक छोटी NBFC अढलनी कैपटिल के साथ एक सढझौते पर हसतलकषर कयि।

• सह-उधार ढें ज़ोखमि:

- **अधकिंश ज़ढिढेढलरी बैंकों के ढलस:** CLM के तहत, NBFCs को अपने खलतों ढें व्यक्तगित ःण का कढ से कढ 20% हसिस्सल रखढल आवश्यक है।

- इसका मतलब है कि 80% जोखिम बैंकों को होगा जो डिफॉल्ट के मामलों के लिये सर्वाधिक ज़िम्मेदार होगा।
- वास्तव में जहाँ बैंकों द्वारा ऋण का बड़ा हिस्सा वितरित किया जाता है, वहीं NBFC द्वारा उधारकर्त्ता का नर्णय किया जाता है।
- **बैंकगि में कारपोरेट्स:** आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर बड़े कारपोरेट घरानों को बैंकगि क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है, लेकिन NBFC ज़्यादातर कारपोरेट घरानों द्वारा नर्णयित की जाती हैं।
 - यह जोखिम भरा है, खासकर जब चार बड़ी नर्णयित कंपनियाँ- IL&FS, DHFL, SREI और रलियंस कैपिटल आरबीआई द्वारा कड़ी नर्णयित के बावजूद पछिले तीन वर्षों में ध्वस्त हो गई हैं।
- **NBFC की सीमति पहुँच:** जबकि आरबीआई ने "NBFC की अधिक पहुँच" का उल्लेख किया है, 100-शाखा नेटवर्क वाले छोटे NBFCs कम सेवा प्राप्त और असेवित क्षेत्रों में सेवा देने में कम हो जाएँगे।

आगे की राह

- नर्णय लेने की प्रक्रिया के संचालन, समीक्षा करने और नर्णय करने के लिये बैंक के बोर्ड को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है तथा इसके लिये योग्य व्यक्तियों की भरती की जानी चाहिये।
 - साथ ही एक अधिक मज़बूत जोखिम प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता है।
- अब वदेशी बाजारों को देखने की और उपयुक्त व्यावसायिक नीतियाँ (वैश्विक स्थान और इन बैंकों द्वारा लक्षित उत्पाद के संदर्भ में) स्थापित करने की ज़रूरत है, जो इन बैंकों की दक्षता तथा उनके वैश्विक समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में मदद करेगी।
- नर्णयलक्षित के संबंध में नर्णय सुधार किये जाने चाहिये,
 - उत्पाद नवीनता,
 - प्रौद्योगिकियों में नर्णय,
 - बेहतर बैंक-एंड प्रक्रियाएँ,
 - टर्नअराउंड समय में कमी

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bank-nbfc-co-lending>

